आरोहण

वर्ष : 2014 - 2015

सूर्य मन्दिर मोढेरा

सूर्य मन्दिर मोढेरा हिन्दू देवता सूर्यदेव को समर्पित है। यह अहमदाबाद से 102 कि.मी. और महेसाणा जिला मुख्यालय से 25 कि.मी. की दूरी पर पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा 1026 ई. में करवाया गया। वर्तमान में, इस मन्दिर में पूजा करना निषेध है और यह मन्दिर भारतीय पुरात्तत्व विभाग की देखरेख में है।

गुजरात के महेसाणा जिले में स्थित यह मन्दिर गुजरात के स्वर्णिम अतीत का प्रतिबिम्ब है। स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण के अनुसार, मोढेरा के आस-पास का क्षेत्र प्राचीन समय में धर्मरण्य के नाम से जाना जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ था, "सदाचारी और नेकी का जंगल क्षेत्र।" इन पुराणों के अनुसार रामायण के युद्ध में ब्राह्मण पुत्र, रावण, की हत्या अर्थात ब्रह्म हत्या या ब्राह्मण हत्या से मुक्ति के लिए श्रीराम ने महर्षि वशिष्ठ से ऐसा स्थान बताने के लिए निवेदन किया था जहाँ पर जाकर वे ब्रह्म हत्या से मुक्त हो सके। तब महर्षि वशिष्ठ के निर्देशानुसार श्रीराम ने इसी धर्मरण्य में मोढ़ेरल गाँव की स्थापना करके, वहाँ यज्ञ किया था। यह सूर्य मन्दिर स्थापत्य कला का अदभुत नमूना है। यह मुख्यत: तीन भागों में बटाँ हुआ है : सूर्य कुंड या रामकुंड, सभा मंडप और गदा मंडप।

प्राचीन भारत और समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं के प्रति लगाव व आकर्षण पैदा करने के लिए, प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में उतरायण पर्व के उपरांत तीन दिन तक मोढेरा डांस फेस्टिवल का आयोजन टूरिज्म कोर्पोरेशन ऑफ गुजरात के द्वारा किया जाता है।

आरोहण

वर्ष : 2014-2015

संयुक्त प्रकाशन

कार्यालय प्रधान महालेखाकार

(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा)

गुजरात, अहमदाबाद

और

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय)

गुजरात, अहमदाबाद

आरोहण

प्रकाशक : कार्यालय प्रधान महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) गुजरात, अहमदाबाद
और
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) गुजरात,
अहमदाबाद की संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति

मूल्य : राजभाषा के प्रति निष्ठा

मुद्रक : मंजु ट्रेडर्स
अहमदाबाद
मो. 9825575447

इस अंक मे प्रस्तुत रचनाकारों के विचार स्वतंत्र है और उनकी रचनाओं की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जिम्मेदारी स्वयं रचनाकारों की है। पत्रिका परिवार का रचनाकारों के विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं है। किसी भी वाद-विवाद का न्यायिक क्षेत्र अहमदाबाद, गुजरात होगा।

आरोहण

'पत्रिका – परिवार'

वर्ष : 2014-2015

संरक्षक	:	**श्री यशवंत ठाकरे**	प्रधान महालेखाकार कार्यालय प्रधान महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा) गुजरात, अहमदाबाद
	:	**श्री डी.पी. यादव**	प्रधान निदेशक कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय) गुजरात, अहमदाबाद
सम्पादक मण्डल	:	**श्रीमती मल्लिका मुखर्जी**	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
		श्रीमती मोनिका दवे	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
		श्री अनिल कुमार बेनीवाल	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
		श्री अजय शुक्ल	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
		श्रीमती रीना अभ्यंकर	पर्यवेक्षक
		श्री अरूण जांगिड़	हिन्दी अनुवादक

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) गुजरात, अहमदाबाद.

संदेश

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (आ.एवं रा.क्षे.ले.प.) गुजरात, अहमदाबाद एवं कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) की संयुक्त हिन्दी पत्रिका ''आरोहण'' के वर्ष 2014-15 के प्रकाशन पर दोनो कार्यालयों के सभी सदस्यों, रचनाकारों और संपादक मंडल को हार्दिक बधाई।

''आरोहण'' के द्वारा हिन्दी के प्रति लगाव बढ़ता है, विचारों का आदान-प्रदान होता है और भारत और इंडिया के बीच का दायरा कम करने का प्रयास किया जाता है।

पत्रिका में प्रकाशित विभिन्न विषयों से सम्बधित लेखों - कविताओं के द्वारा रचनाकारों के विविध क्षेत्रों से सम्बधित ज्ञान व अनुभव को दूसरों के साथ साझा करके हमारी मूलभूत विचारधारा को हिन्दी में विकसित करने का सार्थक प्रयास किया जाता है।

कार्यालय की तरफ से व व्यक्तिगत तौर पर मेरी तरफ से पुनः हार्दिक बधाई।

हस्ता /-

(यशंवत ठाकरे)

प्र.म.ले.(आ.एवं रा.क्षे.ले.प.) गुजरात एवं संरक्षक

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) गुजरात, अहमदाबाद

संदेश

विभागीय पत्रिका आरोहण का नवीनतम अंक प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस पत्रिका के प्रकाशन का मूल उद्देश्य यह है कि इसके माध्यम से राजभाषा हिन्दी का प्रचार-प्रसार हो, कर्मचारियों की प्रतिभा प्रकाश में लाई जाए, रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा मिले और हिन्दी भाषा एवं साहित्य समृद्ध हो।

राजभाषा होने के साथ-साथ हिन्दी सर्वाधिक समझी एवं बोली जाने वाली जनभाषा भी है। संस्कृतज होने के कारण यह अन्य कई भारतीय भाषाओं से मिलती जुलती है, इस वजह से हिन्दी सीखना अत्यन्त ही सरल है। हिन्दी सामान्य जनसमुदाय की भाषा है एवं आज नई पीढ़ी का लगभग हर व्यक्ति हिन्दी समझ सकता है। भारत में हिन्दी के अतिरिक्त अन्य कोई देशी-विदेशी भाषा प्रभावी संपर्क भाषा नहीं हो सकती है।

जिस तरह बूँद-बूँद से महासागर बन जाता है, वैसे ही हम सभी के छोटे छोटे प्रयत्न मिलकर निश्चित रूप से हिन्दी भाषा एवं देश की प्रगति में सहायक सिद्ध होंगे। पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए मैं, संपादक मण्डल के सदस्यों एवं सभी रचनाकारों को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

हस्ता /-

(डी. पी. यादव)

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय) एवं संरक्षक

संपादकीय

भारतकी भाषायी स्थिति और उसमें हिन्दी के स्थान को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी आज भारतीय जनता के बीच राष्ट्रीय संपर्क की भाषा है। हिन्दी की भाषागत विशेषता यह भी है कि यह अन्य भाषाओं की तुलना में सहज और सरल है तभी तो दूसरी भाषाओं के शब्द भी बडी आसानी से इसमें समाहित हो जाते है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हिन्दी ने अपना एक विशेष स्थान बना लिया है। धीरे धीरे हिन्दी अंतरराष्ट्रीय संपर्क की भाषा बन रही है। संख्या की दृष्टि से भी हिन्दी विश्व की तीन बड़ी भाषाओं में से एक है। हमारे लिए गर्व की बात है कि विश्वभर में हिन्दी का उद्धयन आज वे लोग भी कर रहे हैं जो हिन्दी भाषी या भारतीय मूल के नहीं है।

हिन्दी भाषा के साहित्य ने पिछली एक सदी में बड़ी तेजी से विकास किया है वह कविता, कहानी, उपन्यास, तथा चिंतनपरक साहित्य के क्षेत्र में इतनी विकसित हुई है कि किसी भी भाषा के श्रेष्ठ साहित्य का मुकाबला करने में सक्षम है। इलेक्ट्रोनिक संचार-माध्यम और कम्प्यूटर आदि के उपयोग में भी हिन्दी में धीरे धीरे अपनी जगह बना ली है। हम उम्मीद रखते है हिन्दी हमारे चिंतन की, हमारे सपनों की, हमारी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय स्वायत्ता की रक्षा की भाषा बन कर उभरेगी।

आरोहण पत्रिका कार्यालय के सदस्यों को ऐसा ही एक मंच प्रदान करती है। अपनी रचनाओं के माध्यम से रचनाकार अपने विचार, अपनी संवेदनाएँ आप तक पहुँचाते हैं। पत्रिका के माध्यम से हिन्दी साहित्य और समृद्ध हो यही हमारी कोशिश है।

पत्रिका से जुड़े सभी रचनाकारों का संपादक मंडल हृदय से आभारी है। पत्रिका के प्रकाशन में सहयोग देने वाले सभी सदस्यों का संपादक मंडल धन्यवाद करता है। पाठकगण से अनुरोध है कि आरोहण से संबंधित सुझाव भेजकर पत्रिका को उत्कृष्ट बनाने में अपना योगदान दें।

शुभकामनाओं सहित।

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	रचना का नाम	रचयिता का नाम	पृष्ठ सं.
1.	आपके पत्र		9
2.	सीएजी की भूमिका: उपयोगिता व विस्तार	निशांत बोयल	15
3.	राजभाषा तथा हिन्दी	रमेशचन्द्र शर्मा चन्द्र	16
4.	इंसान का नजरिया	वजीर सिँह	21
5.	जीवन	प्रदीप मधेशिया	22
6.	नारी जीवन में शिक्षा का महत्व	हरि गोविन्द	23
7.	सच्ची खुशी	रीतू सिँह	24
8.	आरक्षण वरदान या अभिशाप	हंसराज	25
9.	एक बार फिर	मल्लिका मुखर्जी	26
10.	प्रेम का पाठ	रीतू सिँह	27
11.	महाराणा प्रतापसिंह	हितेश लिम्बाचिया	28
12.	दान	कविता सिँह	30
13.	आवाहन	मल्लिका मुखर्जी	31
14.	तृष्णा का स्वरूप	रमेशचन्द्र शर्मा चन्द्र	32
15.	माँ	हंसराज	34
16.	युवा पीढी के लिए अनुशासन का महत्व	छत्रपाल सिंह राठौर	35
17.	अर्थ के सही अनुमान में ही सार्थकता है	वजीर सिँह	36
18.	नक्षत्र अध्ययन	अजय शुक्ल	37

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	रचना का नाम	रचयिता का नाम	पृष्ठ सं.
19.	गीतिका	रमेशचन्द्र शर्मा चन्द्र	43
20.	कैसे कह दूँ उपवन तेरा मधुमास बना रह पायेगा	विद्या अैय्यर	44
21.	खामोशी	ए. एम. दवे	45
22.	मेरे नाना मेरे आदर्श	सोहम मुखर्जी	46
23.	नेपाल में आया भूकम्प	कविश राठौर	48
24.	दृष्टि	प्रदीप मधेशिया	49
25.	मन पर नियंत्रण	ए. एम. दवे	50
26.	हिन्दी पखवाड़ा 2014		52
27.	कार्यालयीन गतिविधियाँ		53

आपके पत्र

1. आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित पत्रिका आरोहण की प्रति पत्रांक हि.अ. ले.प. फा-115.आ.प्रे. जा.क्र. 70 दिनांक : 06-01-2015 द्वारा प्राप्त हुई। पत्रिका की साज-सज्जा एवं आवरण पृष्ठ अति उत्तम है। साथ ही पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं ने पत्रिका की शोभा वृद्धि की है। रचनाओं में "स्त्री: शांती की और", "धारा 80 सी के तहत शिक्षण / विद्यालय / शिक्षा शुल्कों में कटौती" "खुदा का घर", "आरक्षण" "वृद्ध जनों की पुकार", "माँ, मुझे हनुमान बनना होगा", "तुम मेरी हो," विशेष रुप से प्रभावित करने वाली हैं। आशा है भविषय में भी आपकी पत्रिका इसी भाँति नए कलेवर केसाथ हमारा ज्ञानवर्धन करेगी। शुभकामनाओं सहित।

लेखापरीक्षा अधिकारी / हिन्दी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड

2. आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित हिन्दी पत्रिका आरोहण का वार्षिक अंक प्राप्त हुआ। डॉ मालती दुबे द्वारा लिखित 'स्त्री : शान्ति की ओर' तथा सौरभ अवस्थी द्वारा लिखित 'संयुक्त परिवार का महत्व', महीपाल सिंह द्वारा लिखित 'आरक्षण' आलेख सार्थक एवं विचारोत्तेजक है। नीतू रानी डैला द्वारा लिखित 'माँ, मुझे हनुमान बनना होगा' तथा कुमार शर्मा 'अनिल' द्वारा लिखित 'तुम मेरी हो' कहानियाँ बहुत ही मार्मिक तथा प्रेरणादायक हैं। मल्लिका मुखर्जी द्वारा रचित 'दोहरी मार', सुमित कुमार सक्सेना द्वारा रचित 'अच्छा नहीं लगता' नामक करविताएं भावप्रवण एवं सार्थक हैं। हिमांश एस. वर्मा द्वारा रचित यात्रा - वृतांत 'कुल्लू-मनाली की यादें' सराहनीय है।

पत्रिका के सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए बधाई एवं पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए शुभकामनाएं।

सहायक लेखा अधिकारी (हिन्दी कक्ष), (भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग, चण्डीगढ़) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) पंजाब एवं यू.टी. चण्डीगढ़

3. आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित हिन्दी पत्रिका "आरोहण" के वार्षिक अंक की प्रति प्राप्त हुई, तदर्थ धन्यवाद।

पत्रिका का क्लेवर अपनी भव्यता लिए हुए हैं। पत्रिका में समाहित सभी रचनाएं

पठनीय एवं सराहनीय है। विशेषकर सुश्री मल्लिका मुखर्जी की कविता "और किसी से क्या लडना" श्री सोहम मुखर्जी का लेख "बतखों की परवरिश", कुमार शर्मा 'अनिल' की कहानी "तुम मेरी हो", श्री हंसराज जी की हास्य कविता "बहादुरी का पुरस्कार" विशेष रुप से प्रशंसनीय है !

पत्रिका के उत्तम संयोजन, संपादन हेतु संपादक मण्डल को बधाई तथा पत्रिका की उत्तरोतर प्रगति हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, राजभाषा अनुभाग, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर

4. उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या हि.अ. ले.प. फा-115आ.प्रे. जा.क्र. 98 दिनाक 6-1-2015 के साथ प्रेषित हिन्दी पत्रिका "आरोहण" के वार्षिक अंक 2013-14 की प्रति प्राप्त हुई, धन्यवाद। पत्रिका की साज-सज्जा एवं छायाचित्र उत्कृष्ट है। मुख पृष्ठ आकर्षक है। पत्रिका में समाहित सभी रचनाएँ रोचक, ज्ञानवर्धक एवं संग्रहणीय है। विशेष रुप से "माँ मुझे हनुमान बनना होगा", "और किसी से क्या लड़ना है" "स्त्रीः शांति की ओर", "तुम मेरी हो" और "क्या है मेरी पहचान" रचनाएँ प्रशंसनीय है। पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति और उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएँ।

लेखा परीक्षा अधिकारी (हिन्दी) कक्ष, कार्यालय प्रधान निदेशक (लेखापरीक्षा) पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

5. आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक पत्रिका आरोहण अंक 2013-14 की एक प्रति प्राप्त हुई है। पत्रका में समाविष्ट सभी रचनाएं पठनीय, ज्ञानवर्धनक, रोचक एवं शिक्षाप्रद है। विशेषकर सुश्री सुषमा रविराज का लेख "पर्यावरण" श्री सौरभ अवस्थी का लेख "संयुक्त परिवार का महत्व", श्री रंजीत कुमार की लघुकथा "माँ मैं पार्टी में गया था", श्री कुमार शर्मा 'अनिल' की कहानी "तुम मेरी हो" श्री गौरांग वालेरा की कविता "90 का दूरदर्शन और हम" आदि रचनाएं अत्यन्त सराहनीय है। पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति कि शुभकामनाओं के साथ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (हिन्दी), प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा) ओडिशा, भुवनेश्वर

6. आपके कार्यालय के दिनांक 5-1-2015 के पत्राकं हि.अ. ले.प. फा-115 आ.प्रे. जा.क्र. 87 के माध्य से आपके कार्यालय की हिन्दी पत्रिका ''आरोहण'' की एक प्रति प्राप्त हुई । अतः आभार स्वीकार करें ।

पत्रिका में समाविष्ट सभी रचनाएं सुरुचिपूर्ण, सरस तथा ज्ञानप्रद हैं। ''क्या है मेरी पहचान'' (सालिमा लाजर), ''निर्भया'' (श्री रविकांत शर्मा) तथा ''शाकाहार'' (श्री शोभित कुमार) रचनाएं विशेष रुप से प्रभावित करती हैं। पत्रिका की साज-सज्जा भी उत्तम है ।

हिंदी सार्थकता के लिए प्रयासरत आपकी पत्रिका ''आरोहण'' के उज्जवल भविष्य के लिए 'सुगंधा' परिवार की हार्दिक शुभकामनाएं ।

हिंदी अधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा), पंजाब

7. आपकी विभागीय हिन्दी पत्रिका आरोहण के वार्षिक अंक 2013-14 प्रति साभार प्राप्त हुई । पत्रिका चित्र चयन, मुद्रण एवं संपादन की दृष्टि से यह अंक सराहनीय है। पत्रिका में समाहित स्तरीय रचनाओं के लिए चयनकारों को बधाई । श्री मुस्तुफा शेख की रचना ''स्वतंत्र भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक'' में 1948 से जब तक के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षकों का नाम और उनके कार्याकाल का दिया गया विवरण प्रशंसनीय है ।

पत्रिका में सभी रचनाएँ सरस है फिर भी उनमें सुश्री सुषमा रविराज की रचना ''पर्यावरण'' बहुत ही प्रेरणादायी, सामयिक, संस्कारपूर्ण एवं संदेशात्मकता से ओतप्रोत है साथ ही सुश्री नीतू रानी डैला की रचना ''माँ मुझे हनुमान बनना होगा'' हास्य से ओतप्रोत एवं पाठकों का मन सहज ही मोहने वाली रही है। रचनाकारों, संपादकमण्डल व पत्रिका परिवार को राजभाषा हिन्दी के प्रति इस अतुलनीय निष्ठा के लिए आभार सहित हृदय से धन्यवाद तथा पत्रिका को दीर्घायु प्रदान करने की प्रभु से प्रार्थना के साथ पत्रिका परिवार के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ ।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी, हिन्दी अनुभाग, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) गुजरात, राजकोट

8. आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित हिन्दी पत्रिका ''आरोहण'' की एक प्रति प्राप्त हुई । पत्रिका का संयोजन एवं मुखपृष्ठ उत्तम है। संकलित की गई सभी रचनाएं सरस एवं पठनीय है। विशेष रुप से डॉ.

मालती दुबे का लेख ''स्त्रीः शांति की ओर'' रेखा काम्बले का ''माँ का दर्द'' रंजीत कुमार की कहानी ''माँ मैं एक पार्टी में गया था'' श्री कुमार शर्मा 'अनिल' की ''तुम मेरी हो'' एवं सुश्री मल्लिका मुखर्जी की कविता ''और किसी से क्या लडना है'' प्रशंसनीय है।

पत्रिका के कुशल सम्पादन हेतु हमारे कार्यालय की तरफ से बधाइयां एवं उसके उज्जवल भविष्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।

लेखाअधिकारी हिन्दी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) - प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

9. आपके द्वारा प्रेषित पत्रिका के 2013-14 अंक की प्रति प्राप्त हुई, एतदर्थ धन्यवाद। पत्रिका में समाहित सार्थक सामग्री के चयन हेतु बधाई। पत्रिका की रुप सज्जा तथा रचनाएं राजभाषा हिन्दी के प्रति आपकी सक्रियता व राजभाषा निष्ठा की परिचायक है। इससे सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रति लोगों में निश्चित ही प्रेरणा तथा उत्साह का संचार होगा। श्री वीरेन्द्र कुमार डैला की कहानी ''संस्कार ही तो है सबसे बडी धरोहर'', श्री सुनील देसाई की कहानी ''समय पर निदान'' एवं श्री अश्विन दवे की कहानी ''बेटियाँ'' मार्मिक है। श्री सौरभ अवस्थीका लेख ''संयुक्त परिवार का महत्व'' श्री कविश राठौर का लेख ''महंगाई की मार'' एवं श्री महिपाल सिंह का लेख ''आरक्षण'' भी ज्ञातवर्धक है।

पत्रिका के सफल आगामी अंक के लिये शुभकामनाएं एवं बधाई। सादर।

संपादक वीरांगना, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- द्वितीय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

10. पत्रिका में समाविष्ट सभी लेख, कविताएं रोचक एवं ज्ञानवर्धक है। विशेषकर श्रीमती सुषमा रविराज का लेख ''पर्यावरण'' श्रीमती विद्या अय्यर का लेख ''ब्रह्मपुत्र नदी तट के नगर'' डॉ. मालती दुबे का लेख ''स्त्रीः शांति की और'' श्री पवन सिंगला का लेख ''धारा 80 सी के तहत शिक्षण विद्यालय शिक्षा शुल्कों में कटौती'', श्री सौरभ अवस्थी का·लेख ''संयुक्त परिवार का महत्व'' श्री अनिल कुमार बेनिवाल का लेख ''खुदा का घर'' श्री सी.पी.एस. राठौर का लेख ''समय का सदुपयोग'' श्री विरेंद्र कुमार डैला की कहानी ''संस्कार ही तो सबसे बडी धरोहर'' श्रीमती नीतू रानी डैला की लघुकथा ''मां मुझे हनुमान बनना

होगा", श्री रंजीत कुमार की लघुकथा "मैं एक पार्टी में गया था," सुश्री धनवंती टिब्बानी की लघुकथा "कर्म की महानता", श्री कुमार शर्मा 'अनिल' की कहानी "तुम मेरी हो", श्री सूरज किशोर की कविता "चाँद का झिंगोला" श्री रमेश चन्द्र शर्मा 'चंद्र' की दोनों कविता "गीतिका" श्री हंसराज की कविता "बहादुरी का पुरस्कार" श्री सुनील देसाई की कविता "मातापिता से प्रार्थना", श्री गौरांग वालेरा की कविता "90 का दूरदर्शन और हम" तथा श्री शोभित कुमार की कविता "शाकाहार" आदि रचनाएँ ज्ञानवर्धक, सराहनीय तथा दिल को छू जाने वाली रचनाएं हैं। पत्रिका मुख तथा अंतिम पृष्ठ अत्यंत आकर्षक है।

पत्रिका के रचनाकारों एवं संपादक मंडल को सफल संपादन तथा प्रकाशन हेतु हार्दिक बधाई एवं पत्रिका के उज्जवल भविष्य के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

हिंदी अधिकारी, महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-द्वितीय महाराष्ट्र, नागपूर

11. आपके आयुक्तालय कार्यालय द्वारा प्रेषित विभागीय गृह पत्रिका "आरोहण" के वार्षिक अंक 2013-14 की प्रति इस कार्यालय को प्राप्त हुई, धन्यवाद।

इनमें शामिल रचनाएँ रोचक एवं प्रेरणादायी है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुत्कालय, अहमदाबाद-I

12. आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित हिन्दी की "आरोहण" प्रत्रिका के वार्षिक अंक 2013-14 की एक प्रति प्राप्त हुई। इस पत्रिका की सभी रचनाएं उत्कृष्ट व ज्ञानवर्धक है।

हिन्दी भाषा के सृजनशीलता के उत्थान हेतु आपका यह प्रयास सराहनीय हैं, इसके लिए आप सभी बधाई पात्र हैं। शुभकामनाओं सहित।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी हिन्दी, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ

13. आपके कार्यालय की विभागीय हिन्दी पत्रिका आरोहण की प्रति प्राप्त हुई, धन्यवाद। पत्रिका का आवरण, साज-सज्जा व सामग्री संकलन आकर्षक एवं सराहनीय है।

सुश्री सालिमा लाजर की कविता "क्या है मेरी पहचान" श्री रंजीत कुमार की लघुकथा "माँ मैं एक पार्टी में गया था" श्री सौरभ अवस्थी का लेख "संयुक्त परिवार का महत्व" श्री कुमार शर्मा 'अनिल' की कहानी "तुम मेरी हो" एवं

श्री हंसराज की कविता "बहादुरी का पुरस्कार" की रचना विशेष सराहनीय है। पत्रिका के सम्पादन हेतु सम्पादक मण्डल को बधाई व पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति एवं उज्जवल भविष्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।

हिन्दी अधिकारी राजभाषा, भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर

14. आपके कार्यालय की हिन्दी पत्रिका आरोहण के वार्षिक अंक की प्रति प्राप्त हुई। धन्यवाद। पत्रिका का मुखपृष्ठ अत्यन्त आकर्षक एवं सुंदर है। पत्रिका में समाहित सभी रचनाएं, लेख एवं कविताएं रोचक, ज्ञानवर्धक, पठनीय एवं सारगर्भित हैं। ये विशेष रुप से सराहनीय है।

    हमारा कार्यालय की ओर से पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति एवं उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

    प्रधान सम्पादक, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा

15. आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक पत्रिका 'आरोहण: 2013-14' के नूतन अंक की एक प्रति प्राप्त हुई, धन्यवाद। पत्रिका का भाव और शिल्प पक्ष दोनों ही सराहनीय हैं। मुख पृष्ठ का आकर्षण भारतीय स्थापत्य कला का दर्शन करवाता है।

    पत्रिका में समाविष्ट अधिकतर रचनाएँ युगधर्मिता को साकार कर रही हैं, यथा नीतू रानी का संस्मरण 'मां, मुझे हनुमान बनना होगा' स्त्री विमर्श का जीता - जागता उहाहरण है तो 'वृद्ध जनों की पुकार' लेख आज के समाज का कटु सत्य और संस्कार के ह्रास की कहानी है। मल्लिका मुखर्जी की 'दोहरी मार', रमेश चन्द्र की 'गीतिका', रविकान्त की 'निर्भया' मानव मन को स्पर्श करती है और '90 का दूरदर्शन और हम' काव्य पढ़कर हम अतीत की सुनहली यादों में बंध जाते हैं।

    पत्रिका अपने उद्देश्यों की पूर्ति सचेत रुप से कर रही है। सम्पादक मण्डल का विशेष परिश्रम प्रसंशनीय है। पत्रिका के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ।

    डॉ. मालती दुबे

    पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद-14.

सीएजी की भूमिकाः उपयोगिता व विस्तार

निशांत बोयल

भारतीय गणतंत्र की अनेकों विशेषताओं में सम्मिलित है, शक्तियों का पृथक्करण व नियंत्रण व संतुलन की संवैधानिक व्यवस्था । इन्हीं विशेषताओं के चलते संविधान में ही ऐसी संवैधानिक संस्थाओं की व्यवस्था की गयी जिससे कि शक्तियों के पृथक्करण और नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांतों की निरंतरता व उपयोगिता सुनिश्चित की जा सके ।

इसी क्रम में भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक के कार्यालय की स्थापना की गयी, जिसका उद्देश्य कार्यपालिका की गतिविधियों का निरपेक्ष मूल्यांकन करना व पारदर्शिता और सुशासन जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति में एक लोकतान्त्रिक साधन उपलब्ध करवाना है । पारदर्शिता, सुशासन व भ्रष्टाचार नियंत्रण सदैव ही राजनीतिक व सामाजिक प्रशासकों के उच्चतम लक्ष्य रहे है, ऐसे में सीएजी संस्था के प्रतिवेदन को राजनैतिक व सामाजिक प्रशासन के अनुपूरक व सहयोगी के तौर पर एक सकारात्मक भूमिका में देखा जाना चाहिए । वर्तमान भारतीय तंत्र के सम्मुख उपस्थित चुनौतियाँ भी यही मुद्दे हैं, जिनका हल ढूंढने में सम्पूर्ण तंत्र व संसाधन लगे हुए हैं । ऐसे में वे सभी संस्थाएं जो संवैधानिक है, लोकतान्त्रिक हैं, व जिन्हें किसी भी प्रकार की निर्णयन, मूल्यांकन या परीक्षण इत्यादि की शक्तियों से सुसज्जित किया गया है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे स्वमेव तंत्र की पुनर्संरचना या कम से कम पुनर्द्धार में और अधिक जीवंत भागीदार बनें । भारतीय न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, सीएजी कार्यालय इत्यादि ऐसी ही संस्थाएं हैं जिनकी जिम्मेदारी बेहद अहम् है व न्यूनाधिक रूप में इनकी प्रतिष्ठा भारतीय जनमानस में गहरी है ।

निरंतर व तेजी से परिवर्तनशील वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में तीव्र विकास के लिए निजीकरण व सार्वजनिक – निजी भागीदारी जैसे साधनों का प्रयोग अधिक होने लगा है और राजकीय हस्तक्षेप व नियंत्रण की संभावनाएं उत्तरोत्तर क्षीण हो रही है, ऐसे में सीएजी जैसे सजग प्रहरी की आवश्यकता राष्ट्र हित में बढती जा रही है । इस दौर में लोक कल्याणकारी सरकारें अपनी प्राथमिकतायें बदल रही हैं व केवल Facilitator की भूमिका तक ही स्वयं को सीमित करती जा रही हैं । ऐसे में सीएजी जैसी संस्थाओं को अपनी सक्रियता व दक्षता में वृद्धि करनी होगी । संतुलित व धारणीय विकास की चुनौतियों तथा संसाधनों का समुचित प्रयोग, समग्र विकास व पर्यावरणीय चिंताओं का एक निश्चित हल प्रदान करना सीएजी के कर्तव्यों में स्वतः शामिल हो जाता है ।

इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो जाता है कि सीएजी के प्राधिकार में वृद्धि की जाये । तदुपरांत ही सीएजी संस्था हमारे लोकतंत्र को और पुष्ट करने में सहायक होगी व राष्ट्र का संतुलित किन्तु न्यायोचित विकास सुनिश्चित करने में सहायक होगी ।

राजभाषा तथा हिन्दी

रमेशचन्द्र शर्मा चन्द्र

हिन्दी के लिये प्राय: राष्ट्रभाषा, सम्पर्क भाषा व राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। वस्तुत: ये तीनो शब्द भिन्न-भिन्न अर्थो के द्योतक है। आज हिन्दी को इन तीनों नामों से अभिहित किया जा सकता है कारण कि हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा, सम्पर्क भाषा व राजभाषा तीनों ही है। भारत के संविधान में, राजभाषा शब्द में, राजभाषा का कार्य तथा सम्पर्क भाषा का कार्य भी समाहित रहता है। राजभाषा उस राज्य की राज्यभाषा भी हो सकती है, पर सम्पर्क भाषा के रूप में अधिकांश भागों में हिन्दी को ही स्वीकार किया जाता है। पराधीन रहते हुये भी मुगलो तथा अंग्रेजों के समय में क्रमश: राजभाषा के रूप में फारसी तथा अंग्रेजी का अधिपत्य रहने पर भी भारतीय जन समाज की पारस्परिक विचार – विनिमय की सम्पर्क भाषा हिन्दी ही रही। राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित न होने पर भी आसेतु हिमालय तथा अन्तर्दे शीय जन-सम्पर्क की एक मात्र भाषा के रूप में सहज ही प्रतिष्ठित हो गयी। इस भावना की चरम सीमा भारतीय स्वतंत्रता के आन्दोलन के समय दिखायी पड़ती है। समस्त जननायकों ने चाहे वे किसी भी प्रदेश के रहे हों, वे राष्ट्रभाषा हिंदी के समर्थक रहे :

महात्मा गाँधी	गुजरात
लाला लाजपतराय	पंजाब
मदनमोहन मालवीय	उत्तर प्रदेश
लोकमान्य तिलक	महाराष्ट्र
राजेन्द्र प्रसाद	बिहार
रवीन्द्रनाथ टैगोर	बंगाल
सी. राजागोपालाचार्य	तमिलनाडु
मोरारजी देसाई	गुजरात
कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी	गुजरात

14 सितम्बर, 1949 से पूर्व हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा तथा सम्पर्क भाषा तो थी किन्तु राजभाषा नहीं थी। संविधान सभा ने 14 सितम्बर 1949 को केन्द्र सरकार की राजभाषा के रुप में स्वीकृत किया तथा इस प्रावधान को संविधान के भाग 17 में सम्मिलित किया।

हिन्दी बहुत लम्बे समय से देश की सम्पर्क भाषा रही है। उस समय भारत में पाकिस्तान तथा बांगलादेश भी सम्मिलित थे अर्थात् उनका जन्म नहीं हुआ था। हिन्दी के द्वारा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के लोग धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, व्यापारिक आदि सभी दृष्टियों से जुड़े हुये थे। सारे देश को जोड़ने वाली एक मात्र भाषा हिन्दी ही रही है। महात्मा गाँधी ने कोंग्रेस

पार्टी के सभी सदस्यों को दो बातें अनिवार्य कर दी थीं - हिन्दी और खादी। स्वतंत्रता संग्राम का, हिन्दी एक अटूट अंग बन गयी थी। हिन्दी भाषा के माध्यम से ही स्वतंत्रता की पूरी लडाई लड़ी गयी थी।

देश के बाहर रहने के उपरान्त भी, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आजाद हिन्द फौज का संचालन हिन्दी में ही करते थे। भारतीय संविधान की अष्टम सूची में देश की अठारह भाषायें हैं। संस्कृत, सिंधी व नेपाली को छोड़कर शेष सभी भाषायें अपने अपने राज्य में राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। हिन्दी केन्द्र की राजभाषा होने के अतिरिक्त उत्तरप्रदेश, उत्तराखड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली राज्यों की राजभाषा है। अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर और नागर हवेली तथा लक्षद्वीप में हिन्दी के साथ साथ अंग्रेजी भी राजभाषा है।

इस समय भारत की जनसंख्या एक अरब से अधिक है और अनुमान के अनुसार हिन्दी बोलने वालों की संख्या लगभग पचास प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त देश के अधिकांश राज्यों में द्वितीय तथा तृतीय भाषा के रुप में बोली व समझी जाती है। इससे सिद्ध होता है कि हिन्दी एक बड़े भू-भाग की भाषा है। यही कारण है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा का गौरवमय पद प्राप्त हुआ। यह पद जनता जनार्दन की स्वीकृति से प्राप्त हुआ है, जैसे गाँधी जी को महात्मा व राष्ट्रपिता, जय प्रकाश नारायण को लोकनायक कहा, वैसे ही हिन्दी को राष्ट्रभाषा। ऐसा दुर्लभ संयोग बहुत कम देखते में आता है कि राष्ट्र में एक ही सम्पर्क भाषा, राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा तीनों ही रुप में प्रयुक्त होती हो। यह हिन्दी की शक्ति तथा लोकमान्यता का प्रमाण है।

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से समाचार तथा आंखों देखा-हाल हिन्दी व अंग्रेजी में प्रसारित होते है। विभिन्न खेलों की कमेन्ट्री भी अब बारी-बारी से हिन्दी व अंग्रेजी में प्रसारित होती है। देश भर में अब टेलीप्रिन्टर हिन्दी में है। कम्प्यूटर में जिस्ट तकनीक के प्रवेश के बाद कोई भी समाचार हिन्दी देवनागरी लिपि के साथ-साथ भारतीय भाषाओं में एक साथ मुद्रित हो जाता है। पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन के सन्दर्भ में हिन्दी सर्वोच्च स्थान पर है। फादर कामिल बुल्के के अनुसार भारत के सभी धर्मों और विभिन्न भाषा-भाषियों ने हिन्दी के विकास में योगदान दिया। वह किसी विशिष्टवर्ग, प्रदेश या समुदाय की भाषा न होकर भारतीय जनता की भाषा है। धार्मिक स्थलों एवं तीर्थों की सम्पर्क भाषा हिन्दी ही है। कन्याकुमारी से वैष्णो देवी तक, केरल, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के तीर्थ यात्री हिन्दी में ही वार्तालाप करते है। प्रतिदिन कार्य - व्यवहार की सम्पर्क भाषा हिन्दी ही है। सार्वदेशिक महत्त्व को समझते हुये समाज सुधारको, साधू संतों तथा देश-भक्तों ने हिन्दी

को सम्पर्क भाष का रूप दिया और भारत भर में प्रचार प्रसार किया।

जब से हिन्दी को केन्द्र में राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, तभी से राजनैतिक कुचक्रों का शिकार हो गयी। भारत को स्वतंत्र हुये 6 दशक से अधिक हो गये किन्तु भारत की राजभाषा अब भी अंग्रेजी बनी हुई है। संविधान के अनुसार 26 जनवरी 1965 से अंग्रेजी को राजभाषा के पद से हटा देना चाहिये था, पर कुत्सित राजनीति के कारण अब तक ऐसा नही हो सका है। हमारे उस समय के प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरु ने अंग्रेजी को राजभाषा के पद पर बनाये रखने की अनंत कालीन व्यवस्था कर डाली, जिसका दुष्परिणाम है कि दासी अंग्रेजी महारानी के आसन पर विराजमान है और महारानी हिन्दी के साथ दासी जैसा व्यवहार किया जाता है। महात्मा गाँधी कहते थे इस देश में अंग्रेजी को यदि इसी प्रकार बनाये रखा जाता है तो हमारी स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जायेगा।

किसी भाषा को राजभाषा अथवा राष्ट्रभाषा के लिये निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है :-

1. राष्ट्र के बहु संख्यक लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती हो।
2. उसका साहित्य, ज्ञान की विविध शाखाओं में विस्तृत तथा उच्च कोटि का हो।
3. शब्द भण्डार व विचार - क्षेत्र व्यापक हो।
4. व्याकरण सरल व सर्वग्राह्य है।
5. आवश्यकतानुसार अन्य भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करने की क्षमता हो।
6. लिपि सरल व वैज्ञानिक हो।
7. साहित्य में राष्ट्रीय संस्कृति की आत्मा मुखरित हो।
8. भावात्मक एकता स्थापित करने की शक्ति हो।

उपर्युक्त सभी आवश्यकताओं को हिन्दी पूरा करती है। बोलने वालों एवं समझने वालों की दृष्टि से हिन्दी विश्व में प्रथम स्थान पर है।

संविधान ने हिन्दी के सर्वांगीण विकास तथा अंग्रेजी से मुक्ति के लिये सर्वप्रथम पन्द्रह वर्ष का समय दिया था। अंग्रेजी के भक्त यह बताते हैं कि अंग्रेजी के बिना काम ही नहीं चलेगा। क्या जापान, रूस व चीन ने अंग्रेजी के माध्यम से विकास किया है ? नहीं, उन्होंने विकास अपनी भाषा के माध्यम से किया है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे नेता विदेशों में अंग्रेजी बोलते है। वहाँ के लोग पूछते हैं- क्या आपके देश की कोई भाषा नहीं है ? कितना लज्जित होना पड़ता है ? लज्जित होकर भी अंग्रेजी मोह का त्याग नहीं करते। वर्ष 1963 में एक विधेयक पारित करवा कर हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी भी राजभाषा बना दी गयी। यह कहीं भी अंकित नहीं है कि अंग्रेजी भारत में कब तक राजभाषा बनी रहेगी ? संविधान ने भारत की जनता को अपनी भाषा

में राजकाज करने का जो अश्वासन दिया था, उसका क्या हुआ ? सच तो यह है कि अप्रत्यक्ष रुप से अंग्रेजी को ही राजभाषा बना दिया। ऐसे विश्वासघात की घटना संभवतः अन्यत्र न मिले। अंग्रेजी मात्र तीन प्रतिशत लोगों की भाषा है अपनी भाषा के अभाव में राष्ट्रीय एकता स्थापित होना कठिन होता है।

राजभाषा हिन्दी के साथ समस्त भारतीय भाषाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। केन्द्र सरकार में वर्चस्व अंग्रेजी का है। अतः संघर्ष भी अंग्रेजी से ही है, न कि किसी अन्य भारतीय भाषा से राष्ट्र की भाषा से एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न राष्ट्रीय एकता का भी जुड़ा हुआ है। मार्कटली ने कहा था - निश्चित रूप से एक विदेशी भाषा की नींव पर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण नहीं हो सकता। भारत सात भाव गाँवो में बसता है। ग्रामीण लोग अंग्रेजी नहीं जानते, वहाँ अंग्रेजी माध्यम के स्कूल भी नहीं है। तो क्या उनका विकास नहीं होगा ? उनका विकास उनकी भाषा से ही होगा। कब तक तीन प्रतिशत अंग्रेजी जानने वाले भारत पर शासन करते रहेंगे ? क्या ऐसी शासन-व्यवस्था लोकतंत्र को हास्यास्पद नहीं बनाती ? यह तो हमारे लोकतंत्र व स्वाधीनता से जुडा हुआ ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देना ही होगा।

महात्मा गाँधी कहा करते थे - अंग्रेजी का मोह हमारे मन से जब तक नहीं हटेगा, हमारी भाषाये कंगाल रहेंगी, अर्थात हम कंगाल रहेंगे, देश कंगाल रहेगा। गाँधीजी ने एक बार कहा था - विश्व से कह दो कि गाँधी अंग्रेजी नहीं जानता। वे अंग्रेजी जानते थे, वे चाहते थे कि भारत का राजकाज भारत की भाषा हिन्दी में हो। हिन्दी भाषा, अपनी शब्द सम्पत्ति, ग्रहण शीलता, वैज्ञानिकता तथा सरलता के कारण बहुत शक्तिशाली है। कमाल पाशा जैसी भावना हृदय में पैदा करनी चाहिये।

सरकारी स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन के लिये राजभाषा विभाग बनाया गया है। इसके लिये तीस सदस्यीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है, जिसमें 20 लोकसभा के सदस्य तथा 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। यह समिति समय-समय पर हिन्दी के प्रयोग में की गयी प्रगति की सूचना राष्ट्रपति को देती है। राजभाषा के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये, गृह मंत्रालय, हिन्दी में विभिन्न विषयों पर मौलिक लेखन के लियें इन्दिरा गाँधी राजभाषा पुरस्कार प्रदान करता है।

केन्द्र सरकार के कार्यालयों में, सार्वजनिक उपक्रमो में हिन्दी पखवाड़ा मनाया जाता है। प्रेरणा प्रोत्साहन के लिये कार्यालयीन विषयो पर प्रतियोगितायें आयोजित की जाती है, पुरस्कार दिये जाते है, जिससे हिन्दी में कार्य रुचिपूर्वक अबाध गति से हो।

अब तो लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी अथवा अंग्रेजी को वैकल्पिक विषय के रूप में चुना जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को मान्यता दिलाने के लिये हर संभव प्रयास किया जाता है। भाषा की

पराधीनता की पीड़ा को भारतीय प्रवासी अब हमसे भी अधिक समझनें लगे हैं। भाषा के मामले में सोचने समझने की प्रक्रिया विदेशों में बसे भारतीयों में प्रारम्भ हो गयी है। जिसका परिणाम शुभ ही होगा। भारत को भाषायी स्वतंत्रता की लड़ाई पूरे बल से लड़नी ही होगी, जिससे हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं का अधिक-से-अधिक विकास हो तथा राष्ट्रीय एकता व अखण्डता अक्षुण बनी रहे। मॉरीशिस, नेपाल, बर्मा, मलेशिया, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और इंडोनेशिया आदि में उच्च स्तर पर हिन्दी में शिक्षण शोध एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। विश्व परिप्रेक्ष्य में आशाजनक व उत्साहवर्धक स्थिति है।

राजभाषा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वालों को राष्ट्रहित में हिन्दी में कार्य करना चाहिये। जो नहीं करते हैं, उन्हें प्रारम्भ कर देना चाहिये। हिन्दी के प्रति हीन भावना न आने दें, अपितु प्रेम, प्रेरणा, प्रोत्साहन, सहकार, सदिच्छा से हिन्दी में कार्य करने की महती कृपा करे, क्योंकि जब तक हम दैनिक जीवन में प्रयोग करके उचित सम्मान नहीं देंगे, तब तक पिछड़ते ही जायेंगे। कुछ लोगों को कठिनाईयाँ हो सकती है, किन्तु अनवरत प्रयास के विजय प्राप्त की जा सकती है। कहावत है— "करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान।" रुचिपूर्वक व्यवहार में लाने पर कठिन से कठिन भाषा भी सरल हो जाती है। जो बोले, वही लिखें कार्य शुरु हो गया। एक डग उठाने पर, दूसरा उठेगा ही। हर यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है और व्यक्ति गन्तव्य पर पहुँचता है।

राजभाषा हिन्दी — विकास में बाधक तत्त्व

1. सरकारी इच्छाशक्ति का अभाव
2. राष्ट्रीय भावना की कमी
3. कौन्वेन्ट विद्यालयों की भरमार
4. सूचना प्रौद्योगिकी के नाम पर अंग्रेजी-शिक्षण का ढ़ोल पीटना
5. भाषा को रोज़गार से न जोड़ना
6. भाषा की राजनीति करना, प्रादेशिक भावनायें उभारना

प्रसन्नता की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री सर्वत्र हिन्दी में ही भाषण करते है। इससे हिन्दी की लोकप्रियता बढ़ रही है तथा सर्वग्राह्य भी बन रही है। विदेशों में अनेक विश्वविद्यालयों मे हिन्दी पढ़ायी जाती है तथा बड़े पैमाने पर शोध कार्य भी हो रहा है। देवनागरी लिपि वैज्ञानिक होने के कारण, सहन ही ग्राह्य हो जाती है। भाषा बोलने, लिखने तथा व्यवहार करने से समृद्ध होती है, तथा भाषा का ज्ञान अपने आप हो जाता है।

निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को शूल।